छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | द्वादश सत्र | अंक-11

रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 मार्च, 2013

(फाल्गुन-13, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03, 04, 07 से 12, 14 एवं 15 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 02, 05, 06 एवं 13 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री सेवकराम नेताम, रामदेव राम, रविन्द्र चौबे एवं डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 14 तारांकित एवं 30 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बधाई

तारांकित प्रश्न संख्या 07 पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष ने डॉ.सियाराम साहू, संसदीय सचिव को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी।

3. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में श्री संतोष सिंह सलूजा, उड़ीसा विधान सभा के सदस्य उपस्थित हैं, सदन उनका स्वागत करता है।

4. पृच्छा
प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा आरक्षण के संबंध में वक्तव्य की मांग

श्री नंद कुमार पटेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन पर शासन से वक्तव्य की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आपने इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। सदन नियम, प्रक्रिया एवं परपंरा से चलता है। माननीय सदस्य ने शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है यह पर्याप्त है।

माननीय अध्यक्ष ने डा.शक्राजीत नायक, सदस्य का नाम ध्यानाकर्षण सूचना हेतु पुकारा ।

श्री चंद्रशेखर साहू ने आग्रह किया कि प्रतिपक्ष के सदस्यों ने एक संवेदनशील विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कर दिया है अतः कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः वक्तव्य की मांग की गई। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही चलाने में सहयोग का अनुरोध किया।

5. बहिर्गमन

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन द्वारा वक्तव्य न दिए जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत जिला रायगढ़ में ग्रीन हाउस के निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य ने सरगुजा जिले के महेशपुर में पुरातात्विक धरोहर मूर्तियां चोरी होने की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संस्कृति मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

(1) श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा के जैजैपुर विकासखंड के ग्राम कचन्दा के धार्मिक एवं पर्यटन स्थल खंभेश्वरी परिसर को विकसित किए जाने,

(2) श्री फूलचंद सिंह, सदस्य ने पी.डी.एस. परिवहनकर्ता, राईस मिलर्स एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा राशन वितरण कार्य में अनियमितता किए जाने,

(3) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने पट्टा वितरण कार्य में अनियमितता किए जाने, तथा

(4) श्री शिवराज सिंह उसारे, सदस्य ने अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से फसल को नुकसान होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।

8.वर्ष 2013-2014 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या 23, आयाकट विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 40, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या 45, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 57, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 75, उच्च शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 44, विज्ञान एवं टेक्नालॉजी से संबंधित मांग संख्या 46, तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित मांग संख्या 47 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-23 पर डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री ताम्रध्वज साहू, डॉ.हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री अग्नि चंद्राकर, चैतराम साहू, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री ह्दयराम राठिया, भोलाराम साहू **मांग संख्या-40 पर** डॉ. हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-45 पर** डॉ. हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-57 पर** डॉ. हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-75 पर** डॉ. हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-44 पर** डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री ताम्रध्वज साहू, डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री चैतराम साहू, अग्नि चंद्राकर, ह्दयराम राठिया, भोलाराम साहू **मांग**

संख्या-46 पर डॉ. हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-47 पर** डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अग्नि चंद्राकर, परेश बागबाहरा एवं भोलाराम साहू सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
सर्वश्री विरेन्द्र कुमार साहू, परेश बागबाहरा, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा,

(सभापति महोदय (श्री ताम्रध्वज साहू) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, खेदूराम साहू, (लेखराम साहू-अनुपस्थित), चैतराम साहू, (रामजी भारती-अनुपस्थित), फूलचंद सिंह, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री देवजी पटेल, सौरभ सिंह, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, भजन सिंह निरंकारी, ह्दयराम राठिया, शिवराज सिंह उसारे, भोलाराम साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह।

श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक 3 (2) पर चर्चा प्रारंभ होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने कृषि से संबंधित मांग संख्या 13, पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 14, मछलीपालन से संबंधित मांग संख्या 16, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 54, श्रम से संबंधित मांग संख्या 18 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-13 पर डॉ. हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, अग्नि चंद्राकर, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, भजन सिंह निरंकारी **मांग संख्या-14 पर** सर्वश्री अग्नि चंद्राकर, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, भजन सिंह निरंकारी, भोलाराम साहू **मांग संख्या-16 पर** डॉ. हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-54 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-18 पर** डॉ. हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री देवेन्द्र बहादुर सिंह एवं भजन सिंह निरंकारी, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ होगी।

सायं 6.09 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 5 मार्च, 2013 (फाल्गुन, 14 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा